कार्यालय– नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1382 /12–1 :देहरादूनःदिनांकः 19 जनवरी, 2026

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–309ए0 के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/151120/2022)

सन्दर्भ :–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0 दि0 09.12.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा वांछित बिन्दुओं की आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1807/12–1(2) दिनांक 06.01.2026 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	Committee noted that the observation of the REC in its meeting held on 27-10-2025 to minimize the numbers of trees to be felled has not been complied. Rather, the numbers of trees proposed for felling increased from 5981 trees to 7882 trees without giving cogent justification by the state Government and User agency.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की संख्या को न्यून करने की सम्भावना एवं मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की वास्तविक संख्या का पता लगाये जाने हेतु वन संरक्षक महोदय द्वारा अपने पत्रांक 1568/12–2 दिनांक 10.12.2025 के माध्यम से स्वयं की अध्यक्षता में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम अल्मोड़ा एवं प्रयोक्ता ऐजेंसी के साथ एक समिति गठित की गयी है, जिसके अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 11.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि संपूर्ण मार्ग के hill side व valley side में पेड़ों की संख्या लगभग समान है। मार्ग Single lane में पूर्व निर्मित है, जिसके टू–लेन चौड़ीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग का Alignment एवं Design भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की गणना वन भूमि प्रस्ताव गठित करते समय लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी, तत्समय प्रभावित होने वाले पेड़ो की संख्या 5981 थी। मार्ग के Alignment में पड़ने वाले बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य का सही सीमांकन न होने के कारण बिन्सर वन्यजीव अभयारण्य में वन भूमि प्रस्ताव में पूर्व से त्रुटिपूर्ण गणना के कारण वर्ष 2024 में सही सीमांकन के पश्चात बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र व कुछ आरक्षित

		वन भूमि जो कि पूर्व गणना में Overlap हो गये थे, में पुनः पेड़ों की गणना कराये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 7882 प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त मक डंम्पिग जोन में भी पेड़ों की गणना करवायी गयी थी, चूंकि मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी व पेड़ो की गणना को काफी समय व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भूमि का सीमांकन (Back pillar) करवाकर पुनः पेड़ों की गणना करवायी गयी। पेड़ों की पुनः गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 8826 प्राप्त हुई है। मार्ग के टू–लेन चौड़ीकरण हेतु मार्ग के Design, Geometry व Stability को ध्यान में रखते हुए Hill Side में 6.0 मी0 चौड़ाई में भूमि चिन्हित कर Alignment स्वीकृत करवाया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत मार्ग चौड़ीकरण हेतु 8826 पेड़ो का पातन किया जाना अति आवश्यक है।
2	The user agency shall upload the correct KML file and area calculation details of the proposed road on the PARIVESH protal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से अवगत कराया गया है कि KML File Correct कर अपलोड कर दी गयी है एवं प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाली भूमि का Area calculation परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
3	Details of employment generated shall be provided on the PARIVESH Portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या– 1382 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, रा0रा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1807 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 06/01/.2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के किमी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में प्रस्ताव सं0 151120 / 2022।

संदर्भ :– आर0ई0सी0 की दिनांक 27.11.2025 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक 4111 / 12–1 (2) दिनांक 02.01.2026 द्वारा सूचित किया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(signature)

(चन्द्रशेखर जोशी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रति हस्ता०

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 4111 /12–1(2) अल्मोड़ा दिनांक 02/01/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022)**

संदर्भ– **आर0ई0सी0 की दिनांक 27.11.2025 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.11.2025 को हुई बैठक का कार्यवृत्त निर्गत करते हुए प्रस्ताव के सम्बन्ध में 03 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आख्या तैयार कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	आपत्ति	प्रत्युत्तर
1	Committee noted that the observation of the REC in its meeting held on 27-10-2025 to minimize the numbers of trees to be felled has not been complied. Rather, the numbers of trees proposed for felling increased from 5981 trees to 7882 trees without giving cogent justification by the state Government and User agency.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की संख्या को न्यून करने की सम्भावना एवं मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की वास्तविक संख्या का पता लगाये जाने हेतु वन संरक्षक महोदय द्वारा अपने पत्रांक 1568/12–2 दिनांक 10.12.2025 के माध्यम से स्वयं की अध्यक्षता में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम अल्मोड़ा एवं प्रयोक्ता ऐजेंसी के साथ एक समिति गठित की गयी है, जिसके अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 11.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि संपूर्ण मार्ग के Hill side व valley side में पेड़ों की संख्या लगभग समान है। मार्ग Single lane में पूर्व निर्मित है, जिसके टू–लेन चौड़ीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग का Alignment एवं Design भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की गणना वन भूमि प्रस्ताव गठित करते समय लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी, तत्समय प्रभावित होने वाले पेड़ो की संख्या 5981 थी। मार्ग के Alignment में पड़ने वाले बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य का सही सीमांकन न होने के कारण बिन्सर वन्यजीव अभयारण्य में वन भूमि प्रस्ताव में पूर्व से त्रुटिपूर्ण गणना के कारण वर्ष 2024 में सही सीमांकन के पश्चात बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र व कुछ आरक्षित वन भूमि जो कि पूर्व गणना में Overlap हो गये थे, में पुनः पेड़ों की गणना कराये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 7882 प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त गम डंम्पिग जोन में भी पेड़ो की गणना करवायी गयी थी, चूंकि मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी व पेड़ो की गणना को काफी समय व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भूमि का सीमांकन (Back pillar) करवाकर पुनः पेड़ों की गणना करवायी गयी। पेड़ों की पुनः गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 8826 प्राप्त हुई है। मार्ग के टू–लेन चौड़ीकरण हेतु मार्ग के Design, Geometry व Stability को ध्यान में रखते हुए Hill Side में 6.0 मी0 चौड़ाई में भूमि चिन्हित कर Alignment स्वीकृत करवाया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत मार्ग चौड़ीकरण हेतु 8826 पेड़ो का पातन

		किया जाना अतिआवश्यक है। प्रभावित वृक्षों की नवीन गणना सूची संलग्न है।
2	The user agency shall upload the correct KML file and area calculation details of the proposed road on the PARIVESH protal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि KML File Correct कर अपलोड कर दी गयी है एवं प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाली भूमि का Area calculation परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
3	Details of employment generated shall be provided on the PARIVESH Portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।(५)

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।